न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 8/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		नीतूसिंह राजपुरोहित पुत्र चेतनसिंह जाति राजपुरोहित हाल निवासी रावण मैदान के पास, डेगाना। स्थायी निवासी समदडी रोड, हनुमान बगीची के पास, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। फर्म–मैसर्स जय भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, शिव मंदिर के पास, बिदासर रोड, डेगाना।

आदेश

दिनांक : 24.07.18

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 11-10-17 को दौराने गस्त 02-00 बजे (PM) पर मैसर्स जय भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, शिव मंदिर के पास, बिदासर रोड, डेगाना पर पहुंचा। अपना परिचय दिया, परिचय लिया तथा अपना परिचय पत्र दिखाया। उस समय दुकान पर नीतूसिंह राजपुरोहित उपस्थित थे तथा आम जनता को खोया, मावा मिठाई आदि विक्रय हेतु रखे पाये गये। विक्रेता से पता पूछने पर हाल निवासी रावण के मैदान के पास, डेगाना जिला नागौर व स्थायी निवासी समदडी रोड, हनुमान बगीची के पास, बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर होना बताया तथा फर्म का मालिक स्वयं का होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया। जो कि मान्य है।

2(2). यह कि आवेदक ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया। जहां पर लगभग 15 किलो खोया एक लोहे की ट्रे में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। जिसको एफएसएसए एक्ट के तहत जॉच हेतु देखा। इसमे मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने मालिक एवं विक्रेता को प्रपत्र–5 ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर रसीद प्राप्त की। जिस प्रार्थी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। प्रपत्र–5 ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह खोया का नमूना एफएसएस एक्ट के तहत वास्ते जांच हेतु ले रहा है।

2(3). यह कि आवेदक ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में लोहे की ट्रे मे रखे लगभग 15 किलो खोये मे से वास्ते नमूना जांच हेतु 1 किलो खोये को एक साफ सूखी स्टील की भगोनी में तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 240/– (अक्षरे दो सौ चालीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विक्रेता व गवाह ने हस्ताक्षर किये।

2(4). यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान को कॉच की शीशी साफ सूखी एवं खाली बोतले चौडे मुंह की दिखाकर उक्त खरीदसुदा खोये को चार बराबर–बराबर भागो में बॉटकर चारों साफ सूखे एवं खाली शीशियों में डाला एवं प्रत्येक शीशी में 20–20 बूंद फार्मलीन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों नमूना शीशियों को कॉच के ढक्कन से एयर टाईट बंद किया। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कोड व सीरीयल नं. क्यू–912 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना शीशियों पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशियों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना शीशियों पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड एवं क्रमांक क्यू–912 गोंद से ऊपर से लेकर नीचे तक गोलाई में चिपकाकर मजबूत धागे से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

बांधकर चार–चार जगह चपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया। चारों नमूना शीशियों पर डीओ के कोड व सीरीयल क्यू–912 अंकित कर विवरण लिखा। जिस पर गवाहान व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता ने हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबंद नमूना शीशियों को अपने जाब्ते मे लिया।

2(5).यह है कि आवेदक ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना क्यू–912 सील बंद किया था। उसका निशान मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी ने, गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की।

2(6).यह है कि आवेदक ने फॉर्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई। जिससे नमूना शीशी सील की थी। एक नमूना जार मय फॉर्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सीलबंद एवं सील मोहर कर, माणक चंद गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 12.10.17 देकर फॉर्म नं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की तथा दो सीलबंद नमूना जार मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सील बंदकर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को दिनांक 12.10.17 को प्रार्थी स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म नं. 6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमुहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 12.10.17 जमा करवा कर रसीद प्राप्त की।

2(7).यह है कि आवेदक को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा जांच रिपोर्ट एल.एस./996/एक्ट/2017/997 दिनांक 03.11.17 दी गई। जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ खोया का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण अवमानक स्तर (Sub Standard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 17-05-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब दिनांक 24.07.18 में जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से मावा का नमूना भरा। जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया। मै छोटा दुकानदार हूँ। मै दूध खरीद कर मावा बनाता हूँ। उसमें फेट कम होने की वजह से मावा सब स्टेण्डर्ड हो गया था। भविष्य में अच्छी किस्म का दूध खरीदकर अच्छा मावा बेचूंगा। ऐसी गलती नही करूंगा। इस मुकदमें में कम से कम जुर्माना कर मुझे दोष मुक्त करवाने की कृपा करावें।

4. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/996/एक्ट/2017/997 दिनांक 03-11-17 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया का नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी नीतूसिंह पर 5,000/– अक्षरे रूपये पांच हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)